

कार्यालय ज्ञाप

प्रायः देखने में आया है कि जनपदीय पुलिस अधिकारीगण अपने कार्यालयों में निर्धारित वर्दी के बजाय सादे कपड़ों में उपस्थित रहते हैं। सादे परिधान में उपस्थित रहने पर अचानक किसी अपराधिक घटना के घटित होने पर कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की दशा में घटना स्थल पर चले जाते हैं। बिना वर्दी के पुलिस बल के शक्तिहीन संगठन होने का संदेश जाता है। जनता में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान उनकी वर्दी से ही होती है। कानून व्यवस्था सम्बन्धी समस्या उत्पन्न होने पर वर्दी में अधिकारी के जाने से जनता को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है कि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं जिससे समस्या का समाधान शीघ्र हो जायेगा। इससे आम जनता में पुलिस की अच्छी छवि और सकारात्मक संदेश जाता है।

2. पुलिस अधिकारीगण कार्यालय में निर्धारित वर्दी में उपस्थित रहने से आगन्तुकों एवं परिवादकर्ताओं में असमंजस नहीं होता है एवं उन्हें अधिकारी से मिलकर पर्याप्त संतुष्टि मिलती है। साथ ही अचानक किसी घटना के घटित होने पर घटनास्थल पर जाने की आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वर्दी बदलने में अनावश्यक समय नष्ट किए वगैर घटना स्थल पर अतिशीघ्र पहुंच जायेंगे।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी देखने में आया है कि अधिकारीगण बिना निर्धारित वर्दी के ही सादे कपड़े में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिन्ट मीडिया को इन्टरव्यू देते हैं जो उचित नहीं है।

4. अतएव आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के उपरोक्त परिपत्र सं०-32 दिनांक:09.06.2016 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा फील्ड ड्यूटी के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी निर्धारित वर्दी में रहेंगे एवं घटनास्थल पर सदैव निर्धारित वर्दी में ही जायेंगे। सभी अधिकारीगण मीडिया से वार्ता के समय अपनी निर्धारित वर्दी में ही रहेंगे। पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, से लेकर चौकी प्रभारी तक सभी पुलिस अधिकारीगण पूर्वान्ह में प्रतिदिन अपनी निर्धारित वर्दी में कार्यालय में उपस्थित रहकर अपने दायित्वों के निर्वहन के साथ जनशिकायतों का निस्तारण करेंगे।

(आर० के० चतुर्वेदी)

पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद जोन,
इलाहाबाद।

कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद।

संख्या:एजेड/एसी-4-डीजी परिपत्र-32-2016

दिनांक:इला०:जून 17, 2016

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु:-

- 1.पुलिस उपमहानिरीक्षक, इलाहाबाद परिक्षेत्र इलाहाबाद को।
2. पुलिस उप महानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बोंदा को।
- 3.समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद जोन, इलाहाबाद को।